

आदेश

दिनांक-21.02.2023 को बिहार पुलिस केन्द्रीय प्रशासी समिति की बैठक के वृत्त की कंडिका-7(ख) में कर्तव्य के दौरान उग्रवादी/संगठित अपराधी गिरोहों से मुठभेड़ में शहीद कर्मी के प्रथम आश्रित को परोपरकारी कोष से 2,00,000/- (दो लाख रूपया) एकमुश्त शहीद सम्मान राशि भुगतान करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

तदनुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

पुलिस महानिदेशक, बिहार के आदेशानुसार।

सहायक पुलिस महानिरीक्षक (कल्याण)
बिहार, पटना।

ज्ञाप संख्या वित्त-2/IV-01-02-2023/.....272.....

बिहार पुलिस मुख्यालय
(मुख्यालय एवं बजट प्रभाग)

पटना, दिनांक.....24.02.2023.....

प्रतिलिपि:-

1. सभी अपर पुलिस महानिदेशक, बिहार/सभी पुलिस महानिरीक्षक, बिहार/सभी पुलिस उप-महानिरीक्षक, बिहार/सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, रेलवे सहित, बिहार/सभी समादेष्टा, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।
2. पुलिस अधीक्षक(वित्तंतु)/ पुलिस अधीक्षक (अ0)/विशेष शाखा/(सी0)/अपराध अनुसंधान विभाग/मंत्रिमंडल निगरानी/ आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
3. महामंत्री, बिहार, पुलिस एसोसिएशन बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
4. महामंत्री/संगठन महामंत्री, बिहार पुलिस मेन्स एसोसिएशन, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
5. अध्यक्ष/ महामंत्री, बिहार पुलिस अनुसचिवीय कर्मचारी संघ, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
6. प्रशाखा पदाधिकारी, वित्त-2 प्रशाखा, पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
7. आई0टी0 मैनेजर पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

सहायक पुलिस महानिरीक्षक (कल्याण)
बिहार, पटना।